कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

आदेश संख्या –33 / 2026 दिनांक: 27/06/2026

जिला न्यायालय, उत्तरकाशी मुख्यालय में सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में अभियुक्त की रिमाण्ड/जमानत हेतु निम्नवत् रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते हैं :–

क्र0सं0	अवधि	रिमाण्ड मजिस्ट्रेट
1	01.07.2026 से 31.07.2026	सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
2	01.08.2026 से 31.08.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
3	01.09.2026 से 30.09.2026	सिविल जज(सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
4	01.10.2026 से 31.10.2026	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
5	01.11.2026 से 30.11.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
6	01.12.2026 से 31.12.2026	सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
7	01.01.2027 से 31.01.2027	सिविल जज(सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
8	01.02.2027 से 28.02.2027	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

उपरोक्त अवधि में किसी भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण, अवकाश व अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनका कार्य लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा साथ ही साथ वी0आई0पी0 ड्यूटी/प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

उक्त आदेश की एक प्रति माननीय जिला न्यायाधीश, महोदय, उत्तरकाशी के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जाये।

साद/

(अभय सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 27.06.26
उत्तरकाशी।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

पत्रांक Memo/तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3. सम्बन्धित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट।
4. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, नई टिहरी।
6. अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह, डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।
7. बार संघ, उत्तरकाशी।
8. सिस्टम सहायक, उत्तरकाशी।
9. गार्ड फाईल।

27.06.26
(अभय सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।